रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 1987/वैशाख 25, 1909
No. 229] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 1987/VAISAKHA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(नागरिक आपूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1987

अधिसूचना

का.आ. 469(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 की धारा (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के प्रशासक (चाहे वे उपराज्यपाल, मुख्य

आयुक्त या प्रशासक के रूप में जाने जाते हों) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए तथा आगामी आदेशों तक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके कार्यों का निर्वाह करेंगे।

[मिसिल सं. 9/37/87–सी.पी.यू.]

बी.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 15th May, 1987

NOTIFICATION

S.O. 469 (E) .—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators (Whether known as Lieutenant Governors, Chief Commissioners or Administrator) of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry shall subject to the control of the President and until further orders, exercise of the powers and discharge the functions of the State Government under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

[File No. 9|37|87-CPU]

B. K. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987